भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2430

(शुक्रवार, 9 मार्च, 2018/18 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट क्षेत्र का विकास

2430. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुगमता से व्यवसाय करने के आधार पर कारपोरेट प्रबंधन को छूट/रियायत दी है;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त ऐसी छूट/रियायत का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या नीतिगत बदलावों तथा कारपोरेट क्षेत्र को सरकार द्वारा प्रदत्त छूट/रियायत के फलस्वरूप कारपोरेट्स के निवेश में वृद्धि हुई है;
(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कारपोरेट क्षेत्र के विकास एवं उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान विकास कार्यकलापों हेतु सरकार के साथ भागीदारी कर चुके कारपोरेट्स का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (घ): कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कारपोरेट क्षेत्र के लिए व्यापार शुरू करने में प्रक्रियाओं की संख्या और समय तथा लागत को कम करते हुए देश में व्यापार करने की आसानी में सुधार के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनसे कारपोरेट क्षेत्र द्वारा निवेशों में वृद्धि होने की संभावना है। इस संबंध में किए गए कुछ प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं:-

(i) "नाम उपलब्धता" और "निगमन" ई-प्ररूपों पर शीघ्र, समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी) की स्थापना।

(ii) कंपनी को एक ई-प्ररूप में पांच सेवाएं अर्थात् नाम उपलब्धता, डिन का आवंटन, कंपनी का निगमन और स्थायी खाता संख्या (पैन) का आवंटन तथा कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टैन) का आवंटन करने के लिए एक नया एकीकृत निगमन ई-प्ररूप यथा कंपनियों का इलेक्ट्रोनिक ढंग से निगमन करने हेतु सरलीकृत प्ररूप (स्पाइस) शुरू किया गया है।

(iii) कंपनी का नाम आरक्षित करने की कार्रवाई को सरल बनाने के लिए 26.1.2018 से रिजर्व यूनिक नेम (आरयूएन) नाम नई वेब सेवा शुरू की गई है।

(iv) दस लाख रुपये से कम या इसके बराबर की प्राधिकृत पूंजी वाली और बीस सदस्यों वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों के निगमन के लिए स्पाइस, ई-एमओए (संगम ज्ञापन) और ई-एओए (संगम अनुच्छेद) फाइल करने के लिए फीस का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है।

(v) कंपनियों के लिए सामान्य मुहर को वैकल्पिक बनाया गया है।

(vi) न्यूनतम समादत्त पूंजी और व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा में छूट दी गई है।

(vii) अधिकतम एक करोड़ रुपये की कुल आस्तियों वाली स्टार्ट-अप, छोटी और असूचीबद्ध कंपनियों को फास्ट ट्रैक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन करने हेतु कारपोरेट ऋणी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ड.): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधान 1.4.2014 से प्रवृत्त किए गए हैं। पात्र कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए 30.11.2017 तक की गई फाइलिंग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इन कंपनियों द्वारा सीएसआर पर किया गया व्यय नीचे तालिका में दिया गया है:-

क्र.सं.	कंपनी का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2014-15 (करोड़ रुपए में)	वित्तीय वर्ष 2015-16 (करोड़ रुपए में)	वित्तीय वर्ष 2016-17 (करोड़ रुपए में)
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	2673.85	4163.09	1325.83
2	प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां	6890.92	9664.77	3393.17
	कुल	**9564.77**	**13827.86**	**4719.00**

*****